न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:— 24/2006 (223 आर. टी. एक्ट)

आर०सी०एम०एस० संख्या :— 2006/00087

उनवान

1. भवानी पुत्र पूरना जाति काछी निवासी सेवला तहसील बयाना (मृतक)
   1/1. महाराज सिंह पुत्र स्व0 भवानी
   1/2. दिलीप सिंह पुत्र स्व0 भवानी (मृतक)
   1/2/1. निर्भय सिंह
   1/2/2. हीरा सिंह } पुत्रान स्व0 दिलीप सिंह
   1/2/3. महेन्द्र सिंह
   1/2/4. पारो पुत्री दिलीप सिंह उम्र 16 साल नाबालिग जरिये सरपरस्त माँ बदनिया पत्नी दिलीप सिंह
   1/2/5. इन्द्रवती पुत्री दिलीप सिंह
   1/2/6. बुदनिया पत्नी दिलीप सिंह
   1/3. मुन्नी पुत्री भवानी
   1/4. सुखदिया पुत्री भवानी
   1/5. गैंदो पुत्री भवानी
   1/6. रामदेई पत्नी स्व0 भवानी
   समस्त जाति काछी निवासी सेवल तहसील बयाना जिला भरतपुर।
2. राजाराम (मृतक)
   2/1. लौहरी उम्र 70 साल पत्नी राजाराम
   2/2. गोपीराम उम्र 30 साल } पुत्रान राजाराम जाति काछी निवासी सेवला तहसील बयाना।
   2/3. कल्यान सिंह
   2/4. रंगी उम्र 20 वर्ष
   2/5. उंगती उम्र 28 साल पुत्री राजाराम जाति काछी निवासी सेवला तहसील बयाना जिला भरतपुर
3. यादराम } पुत्रान रामस्वरूप पुत्र पूरना जाति काछी निवासी सेवला तहसील बयाना।
4. मवासी
5. नेतराम पुत्र भूरा जाति मीना निवासी सेवला तहसील बयाना।
6. रामभरोसी पुत्र गंगाधर (मृतक)
   6/1. निहाल सिंह
   6/2. निर्भय सिंह } पुत्रान रामभरोसी जाति मीना निवासी सेवला तहसील बयाना।
   6/3. महेन्द्र
   6/4. कुमर सिंह
   6/5. दारा सिंह
   6/6. प्रेम सिंह
   6/7. किशन देवी उम्र 70 वर्ष पत्नी स्व0 रामभरोसी जातियान मीना निवासी सेवला तहसील बयाना।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

7. हरीलाल पुत्र गंगाधर } जाति मीना निवासी सेवला तहसील बयाना।
8. नत्थी सिंह पुत्र कंचन }
9. सूकाराम पुत्र लौहरे (मृतक)
9/1. विजय सिंह } पुत्रान सूकाराम जाति मीना निवासी ग्राम सेवला तहसील बयाना।
9/2. दिनेश }
9/3. गुड्डा }
9/4. रामवती पत्नी स्व0 सूकाराम जाति मीना निवासी ग्राम सेवला तहसील बयाना।

........................अपीलांट।

बनाम

मूर्ति मन्दिर श्री गोपाल जी महाराज वाके ग्राम सेवला तहसील बयाना जिला भरतपुर द्वारा वाद मित्र।

1. डालचन्द पुत्र किशनी जाति जाट निवासी ग्राम सेवला तहसील बयाना जिला भरतपुर।
2. बृजेन्द्र सिंह पुत्र रामकिशन } जाति जाट निवासी सेवला तहसील बयाना जिला भरतपुर।
3. लाल सिंह पुत्र ग्यासी }

..........................प्रतिवादी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 सहायक कलक्टर, बयाना दिनांक 27.04.2001 उनवानी मन्दिर मूर्ति श्री गोपाल जी महाराज बनाम भवानी मु0न0 14/2000(106/93) एवं 97/98

अभिभाषकगण :-

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री दिनेश चन्द शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :- 29.09.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, बयाना के आदेश दिनांक 26.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम सेवला तहसील बयाना में स्थित है, जो कि वादी मूर्ति मन्दिर वाके सेवला को सेवला के जमीदारो ने पुण्यार्थ हमेशा हमेशा के लिये माफी में दिया था। जिस पर मूर्ति मन्दिर संवत 2010 से वहैसियत खातेदार काबिज चला आ रहा है। परन्तु प्रतिवादीगण के पूर्वजो ने राजस्व कर्मचारियो से साज कर विवादित भूमि पर अपने नाम शिकमी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

को इन्द्राज करा लिये एवं बाद में मूर्ति मन्दिर की खातेदारी कलमजलम कर अपने नाम खातेदारी को इन्द्राज करा लिये एवं उनकी मृत्यु बाद विवादित आराजीयात का दाखिला खारिज विरासतन प्रतिवादीगण ने अपने नाम करा लिये। उक्त गलत इन्द्राजों के आधार पर प्रतिवादीगण विवादित आराजी को रहन, बय, मुन्तकिल करने पर आमदा है एवं कुछ भूमि को प्रतिवादीगण ने बेचान भी कर दिया है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्त खसरा नम्बरों को पुनः मूर्ति मन्दिर के नाम दर्ज करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। यह है कि विवादित आराजी पर अपीलाण्ट के पिता पूरणा संवत 2012 से पूर्व बहैसियत कृषक रहे हैं। इसलिये उन्हें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 व 19 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक बिन्दु पर ध्यान ना देकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी त्रुटि की है। यह है रेस्पो0 मात्री की उसी भूमि पर अधिकार खातेदारी प्राप्त कर सकते हैं जो भूमि मूर्ति की खुदकाश्त में हो प्रस्तुत मामले में विवादित आराजी पर जमाबन्दी संवत 2009 में भी व काश्त पूरणा का अंकन है जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय ने माना है इस प्रकार इस भूमि पर रेस्पो0 को अधिकार खातेदारी प्राप्त नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1 से 4 व 6 का निर्णय बहक रेस्पो0 करने में भारी त्रुटि की है। यह है कि अपीलाण्ट के पिता व बाबा स्व0 पूरणा को सन् 1960 में नामान्तकरण के द्वारा विधिवत रूप से खातेदार काश्तकार अंकित किया गया है क्योंकि विवादित भूमि जागीर समाप्त होने के समय मूर्ति की खुद काश्त में नहीं रही है। इसलिये रेस्पो0 को विवादित आराजी पर अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अपीलाण्ट ने जो भू भाग का विक्रय किया है उसके आधार पर भी नामान्तकरण स्वीकृत हो चुका है। अपीलाण्ट के नाम विरासत का नामान्तकरण भी स्वीकृत हो चुका है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर पूर्ण स्वामित्व प्रमाणित है। विवादित आराजी का अपीलाण्ट के पूर्वजों के नाम खातेदारी का नामान्तकरण सन् 1960 में हुआ। उक्त नामान्तकरण की कोई अपील आदिनांक तक प्रस्तुत नहीं हुयी है। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 2015 पेज 556, 2000 पेज 189, 14, 109, 1984 पेज 940, डीएनजे 1996 पेज 1, आरएलआर 1990(1) पेज 161, लैण्ड रिफोरमस एण्ड रिजम्प ऑफ जागीर एक्ट 1952 पेज 90, 108 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुसार है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जाँच उपरान्त ही निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि मूर्ति मन्दिर की खातेदारी की है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध [illegible] नहीं है। विवादित आराजी मूर्ति मन्दिर की आराजी है एवं मूर्ति मन्दिर, [illegible] होती है, उसकी आराजी पर किसी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। अपीलाण्ट

[signature]
राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर (राज.)

विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द कर रहे हैं। यदि अपीलाण्ट विवादित भूमि पर शिकमी भी रहे हैं तो भी मूर्ति मन्दिर की आराजी पर शिकमी के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। गॉव वाले मूर्ति मन्दिर की भूमि पर वादमित्र के तौर पर दावा ला सकते हैं। मूर्ति मन्दिर जमाबन्दी संवत 2013 पर स्पष्ट रूप से खातेदार हैं। मूर्ति मन्दिर स्वंय खातेदारी मे थी। अतः जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम का कोई प्रश्न ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तनकीवार तार्किक है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गंजाईश शेष नहीं रहती है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1993 पेज 319, 1987 पेज 261, 1990 पेज 88, आरएलआर 2000(2) पेज 269, आरबीजे 2020 पेज 478, 2022 पेज 225 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु दादरसी सहित बारह तनकीयात कायम की गयी हैं। जिनमें तनकी संख्या 01 लगायत 04 महत्वपूर्ण तनकी हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

6. <u>तनकी संख्या 01</u>:– **"आया मूर्ति मन्दिर को उक्त विवादित भूमि जमीदारान से प्राप्त हुई व वक्त दावा खातेदार काश्तकार हैं"** अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी को तय करते समय मात्र नकल जमाबन्दी संवत 2013 का सहारा लिया है। संवत 2013 की जमाबन्दी में विवादित भूमि कृषक के खाना संख्या 05 में मन्दिर श्री गोपाल जी महाराज वाके सेवला व सरपरस्ती रामसहाय बल्द कान्हा कौम ब्राहम्ण माफीदार देन जमीदार व काश्त पूरना बल्द बुद्धा काछी, शिकमी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने माना है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावशील होने पर विवादित भूमि मूर्ति मन्दिर के नाम ही दर्ज थी। अतः मूर्ति मन्दिर जो कि नाबालिग है, की भूमि पर शिकमी द्वारा काश्त करने पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। हम पाते हैं कि अपीलाण्ट विवादित भूमि पर संवत 2009 से ही बतौर शिकमी दर्ज रहे हैं। लिहाजा उन्हें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 व 19 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं। आरआरडी 2015 पेज 556 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम धारा 82– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 232– राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952– रेफरेन्स– देव द्वारा धारित भूमि जिस पर शिवायत/पुजारी से इतर व्यक्ति द्वारा या मजदूरो से काश्त करवायी जा रही है, ऐसी भूमि जागीर पुर्नग्रहण के पश्चात् राज्य सात होगी– मूर्ति यद्यपि शाश्वत नाबालिग है तथापि भूमि धारिज नहीं करेगी– मूर्ति का नाम खातेदारी से विलोपित होगा तथा शिवायत/पुजारी के अलावा जिसकी खुद–काश्त में भूमि दर्ज है, खातेदार होगा। हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजी पर शिवायत/पुजारी द्वारा काश्त नहीं जाकर, अपीलाण्ट बतौर शिकमी संवत 2009 से ही काश्त करते चले आ रहे हैं एवं उन्हें बतौर शिकमी नियमानुसार मुताबिक हुक्म कमश्निर महोदय अजमेर के आदेशानुसार दिनांक 03.02.1960 के जरिये खातेदारी प्रदान की गयी है। उक्त नामान्तकरण की कोई अपील की गयी हो, ऐसा भी दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः इतने लम्बे अन्तराल तक अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर बतौर खातेदार काबिज काश्त होने के कारण उनकी खातेदारी सरसरी तौर पर निरस्त नहीं की जा सकती है। उपरोक्त विवेचनानुसार तनकी वहक प्रतिवादी/अपीलाण्ट पायी जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

7. <u>तनकी संख्या 02</u> :– **"आया वादी शाश्वत नाबालिग है व उसकी तरफ से नेक्स्ट फ्रैंड होना आवश्यक है"** अधीनस्थ न्यायालय की इस तनकी बावत् निष्कर्ष से हम पूर्ण सहमत हैं। मूर्ति मन्दिर की भूमि की देखरेख किसी भी प्रकार करायी जा सकती है एवं उसकी हितो की सुरक्षार्थ कोई भी व्यक्ति नेक्स्ट फ्रैंड बनकार दावा ला सकता है।

8. <u>तनकी संख्या 03</u> –**"आया प्रतिवादी के नाम हो रहे इन्द्राज खातेदारी अवैध हैं तथा कलमजन योग्य हैं"** जैसा कि तनकी संख्या एक की विवेचना में आ चुका है। चूंकि विवादित भूमि पर शिवायत/पुजारी द्वारा काश्त नहीं जाकर, अन्य व्यक्ति (अपीलाण्ट) बतौर शिकमी संवत 2009 से ही काश्त करते चले आ रहे हैं एवं उन्हें बतौर शिकमी नियमानुसार मुताबिक हुक्म कमश्निर महोदय अजमेर के आदेशानुसार दिनांक 03.02.1960 को जरिये नामान्तकरण खातेदारी प्रदान की गयी है एवं उसी वक्त से उनका विवादित आराजी पर बतौर खातेदार कब्जा काश्त है। अतः अपीलाण्ट न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 2015 में निर्धारित सिद्धान्त के अनुसार खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं एवं उनको विवादित आराजी पर विधि अनुसार खातेदारी अधिकार प्रतिभूत हुये हैं। अतः अपीलाण्ट के खातेदारी अधिकारो को किसी प्रकार अवैध नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रकार यह तनकी वहक प्रतिवादी अपीलाण्ट विरूद्ध वादी रैस्पो0 तय की जाती है।

9. <u>तनकी संख्या 04</u>– **" आया दिनांक 29.06.1993 को प्रतिवादी ने उक्त आराजी को रहन, वय, मुन्तकिल करने व कब्जे काश्त वादी से मदाखलत मजाहमत की धमकी दी"** तनकी संख्या 01 व 03 की विवेचना अनुसार, चूंकि विवादित आराजी पर अपीलाण्ट प्रतिवादी के खातेदारी अधिकार वैध पाये गये हैं। अतः वादी को विवादित आराजी के रहन वय मुन्तकिल करने की धमकी दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। विवादित आराजी प्रतिवादी अपीलाण्ट के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है एवं कानूनन आवश्यकता पडने पर उसे विवादित आराजी का रहन, वय, मुंतकिल करने के पूर्ण अधिकार हासिल हैं। तनकी वहक प्रतिवादी अपीलाण्ट विरूद्ध वादी रैस्पो0 निर्णित की जाती है।

10. <u>तनकी संख्या 05</u> –**" आया प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 9 के हक में वयनामा दिनांक 09.02.1994 को बिना प्रतिफल तररीर कराकार तस्दीक कराया, उसका प्रभाव"** उक्त तनकी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रैस्पो0 के विरूद्ध एवं वहक प्रतिवादी अपीलाण्ट के पक्ष में तय की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय की इस तनकी विवेचना बाबत् हम पूर्ण सहमत हैं।

11. <u>तनकी संख्या 06</u>– **" आया वादी विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी करा पाने के अधिकारी हैं"** अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी विवेचना में माना है कि प्रतिवादीगण अपीलाण्ट द्वारा राजस्व कर्मचारियो से साज कर विवादित भूमि के इन्द्राज खातेदारी कराये गये हैं। जबकि जैसा कि तनकी संख्या 01 व 03 की विवेचना में आ चुका है। प्रतिवादीगण अपीलाण्ट को विवादित आराजी की खातेदारी नियमानुसार प्राप्त हुयी हैं एवं उन्हें खातेदारी अधिकार मुताबिक हुक्म कमश्निर महोदय अजमेर के आदेशानुसार दिनांक 03.02.1960 के जरिये प्राप्त हुये हैं। अतः राजस्व कर्मचारियों से साज करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तनकी वहक प्रतिवादी अपीलाण्ट विरूद्ध वादी रैस्पो0 तय की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

12. <u>तनकी संख्या 07</u> :— उपरोक्त तनकियों की विवेचना उपरान्त, विवेचना किया जाना प्रांसगिक नहीं है।

13. <u>तनकी संख्या 08</u>— **" आया वादीगण का कब्जा नहीं होने के कारण स्थायी व्यादेश प्राप्ति के हकदार नहीं है"** विवादित आराजी पर अपीलाण्ट संवत 2009 से बतौर शिकमी काबिज काश्त रहें हैं एवं तत्पश्चात् उन्हें मुताबिक हुक्म कमश्निर महोदय अजमेर के आदेशानुसार दिनांक 03.02.1960 के जरिये खातेदारी प्रदान की गयी है। अतः विवादित आराजी पर स्पष्ट तौर पर प्रतिवादी अपीलाण्ट का कब्जा काश्त साबित होता है। इस प्रकार वादीगण रैस्पो0 का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होने के कारण वह स्थायी व्यादेश प्राप्ति के हकदार नहीं होते हैं। तनकी वहक प्रतिवादी अपीलाण्ट विरूद्ध वादी रैस्पो0 तय की जाती है।

14. <u>तनकी संख्या 09 व 10</u>— उपरोक्त तनकियो की विवेचना उपरान्त, विवेचना किया जाना प्रासंगिक नहीं है।

15. <u>तनकी संख्या 11</u>—**" आया प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 09 वास्तविक खरीददार हैं जिनके विरूद्ध कोई दादरसी नहीं दी जा सकती"** जैसा कि उपरोक्त तनकियों की विवेचना में अपीलाण्ट के विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार वैध पाये गये हैं एवं अपीलाण्ट से प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 09 को रजिस्टर्ड वयनामा से भूमि क्रय की है। अतः वह सद्भावी क्रेतागण हैं एवं क्रय दिनांक से विवादित आराजी पर काबिज काश्त हैं। अतः उनके विरूद्ध वादी रैस्पो0 को कोई दादरसी नियमानुसार नहीं दी जा सकती है।

16. <u>दादरसी</u> — समस्त तनकियों का निस्तारण किया जा चुका है। उपरोक्त तनकी विवेचना में प्रतिवादी अपीलाण्ट के विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार वैध पाये गये हैं एवं उन्हें विवादित आराजी पर विधि अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं। लिहाजा हम अपीलाण्ट स्वीकार योग्य समझते हैं।

17. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बयाना के निर्णय दिनांक 27.04.2001 अपास्त किये जाकर, अपीलाण्ट को वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

18. निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

29-09-2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

डिकरी व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर मुकाम भरतपुर
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या 24/06(223 आर.टी.एक्ट)
आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2006/00087
उनवानी :–

1. भवानी पुत्र पूरना जाति काछी निवासी सेवला तहसील बयाना (मृतक) जिला भरतपुर (विस्तृत उनवान पृष्ठ पर अंकित है)

बनाम ....अपीलांट।

मूर्ति मन्दिर श्री गोपाल जी महाराज वाके ग्राम सेवला तहसील बयाना जिला भरतपुर द्वारा वाद मित्र। (विस्तृत उनवान पृष्ठ पर अंकित है)

.... रैस्पोडेण्ट।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

अपील विरूद्ध निर्णय व डिकी न्यायालय सहायक कलक्टर, बयाना दिनांक 27.04.2001 प्रकरण संख्या 14/2000 (106/93) एवं 97/98 उनवान मन्दिर मूर्ति श्री गोपाल जी महाराज बनाम भवानी।

यह अपील ....29............माह........09............सन्.......2023.........व हमारे .....श्री महाराज सिंह डागुर एड. ...... मिनजानिब अपीलाण्ट , रैस्पोडेण्ट श्री दिनेश चन्द शर्मा एड. समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि... अपील अपीलण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, बयाना के निर्णय दिनांक 27.04.2001 अपास्त किये जाकर, अपीलाण्ट को वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।
(खर्चा अपील...............का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुवलिग.............) रूपये..................अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का...अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.........29...........माह.........09........सन्..........2023.........को जारी की गई।

29.09.2023
(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

1. भवानी पुत्र पूरना जाति काछी निवासी सेवला तहसील बयाना (मृतक)
   1/1. महाराज सिंह पुत्र स्व0 भवानी
   1/2. दिलीप सिंह पुत्र स्व0 भवानी (मृतक)
   1/2/1. निर्भय सिंह
   1/2/2. हीरा सिंह } पुत्रान स्व0 दिलीप सिंह
   1/2/3. महेन्द्र सिंह
   1/2/4. पारो पुत्री दिलीप सिंह उम्र 16 साल नाबालिग जरिये सरपरस्त माँ बदनिया पत्नी दिलीप सिंह
   1/2/5. इन्द्रवती पुत्री दिलीप सिंह
   1/2/6. बुदनिया पत्नी दिलीप सिंह
   1/3. मुन्नी पुत्री भवानी
   1/4. सुखदिया पुत्री भवानी
   1/5. गैंदो पुत्री भवानी
   1/6. रामदेई पत्नी स्व0 भवानी
   समस्त जाति काछी निवासी सेवल तहसील बयाना जिला भरतपुर।
2. राजाराम (मृतक)
   2/1. लौहरी उम्र 70 साल पत्नी राजाराम
   2/2. गोपीराम उम्र 30 साल
   2/3. कल्यान सिंह } पुत्रान राजाराम जाति काछी निवासी सेवला तहसील बयाना।
   2/4. रंगी उम्र 20 वर्श
   2/5. उंगती उम्र 28 साल पुत्री राजाराम जाति काछी निवासी सेवला तहसील बयाना जिला भरतपुर
3. यादराम
4. मवासी } पुत्रान रामस्वरूप पुत्र पूरना जाति काछी निवासी सेवला तहसील बयाना।
5. नेतराम पुत्र भूरा जाति मीना निवासी सेवला तहसील बयाना।
6. राममरोसी पुत्र गंगाधर (मृतक)
   6/1. निहाल सिंह
   6/2. निर्भय सिंह } पुत्रान राममरोसी जाति मीना निवासी सेवला तहसील बयाना।
   6/3. महेन्द्र
   6/4. कुमर सिंह
   6/5. दारा सिंह
   6/6. प्रेम सिंह
   6/7. किशन देवी उम्र 70 वर्श पत्नी स्व0 राममरोसी जातियान मीना निवासी सेवला तहसील बयाना।
7. हरीलाल पुत्र गंगाधर
8. नत्थी सिंह पुत्र कंचन } जाति मीना निवासी सेवला तहसील बयाना।
9. सूकाराम पुत्र लौहरे (मृतक)
   9/1. विजय सिंह } पुत्रान सूकाराम जाति मीना निवासी ग्राम सेवला तहसील बयाना।
   9/2. दिनेश
   9/3. गुड्डा
   9/4. रामवती पत्नी स्व0 सूकाराम जाति मीना निवासी ग्राम सेवला तहसील बयाना।

......................अपीलांट।

बनाम

मूर्ति मन्दिर श्री गोपाल जी महाराज वाके ग्राम सेवला तहसील बयाना जिला भरतपुर द्वारा वाद मित्र।
1. डालचन्द पुत्र किशनी जाति जाट निवासी ग्राम सेवला तहसील बयाना जिला भरतपुर।
2. बृजेन्द्र सिंह पुत्र रामकिशन } जाति जाट निवासी सेवला तहसील बयाना जिला भरतपुर।
3. लाल सिंह पुत्र ग्यासी

......................प्रतिवादी रेस्पोंडेंट।

29-09-2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)